

159

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल- 462004

क्रमांक F 1-10/2005/20-1

भोपाल, दिनांक 8 / 11 / 2005

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, म.प्र.।
2. समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.।
3. समस्त, आयुक्त, नगर निगम, म.प्र.।
4. समस्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, म.प्र.।
5. समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, म.प्र.।

विषय:- महिला तथा विकलांग शिक्षाकर्मियों का अन्य निकाय में संविलियन।

—0—

राज्य शासन द्वारा शिक्षाकर्मियों के संविलियन के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :-


1. महिला शिक्षाकर्मी तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग शिक्षाकर्मियों को उनकी स्वेच्छा से प्राप्त आवेदन पर उसी संवर्ग एवं विषय के पद की उपलब्धता के आधार पर एक स्थानीय निकाय से दूसरे निकाय में संविलियन किया जा सकेगा।
2. संविलियन चाहने वाले शिक्षाकर्मी को अपने नियुक्तकर्ता अधिकारी (संबंधित स्थानीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी) को संविलियन के लिए अनापत्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन में वर्तमान पदस्थापना के साथ उस निकाय की जानकारी का उल्लेख होगा जहां संविलियन चाहा गया है।
3. आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित स्थानीय निकाय का मुख्य कार्यपालन अधिकारी परीक्षण उपरांत अनापत्ति पत्र जारी करेगा। यह अनापत्ति पत्र संबंधित आवेदक को संबोधित होगा और उस निकाय को भी पृष्ठांकित किया जावेगा जिस निकाय के अधीन संबंधित शिक्षाकर्मी ने संविलियन के लिए आवेदन किया है।
4. संबंधित शिक्षाकर्मी द्वारा उस निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पृथक से सीधे आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा जिस निकाय में उसके द्वारा संविलियन चाहा गया है। इस आवेदन में आवेदक को उस स्थानीय निकाय के अधीन प्राथमिकता क्रम में तीन शालाओं का उल्लेख करना होगा जहां संबंधित शिक्षाकर्मी द्वारा संविलियन चाहा जा रहा है। यह आवेदन प्राप्त होने पर

- संबंधित निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पद की रिक्तता की जानकारी प्राप्त करेंगे तथा पद रिक्त होने पर आवेदक की सेवाएं लेने की अनापत्ति की सूचना आवेदक शिक्षाकर्मियों को तथा उसके नियुक्तकर्ता अधिकारी को देंगे।
5. जब किसी शिक्षाकर्मियों की सेवाएं एक निकाय से दूसरे निकाय में संविलियन की जाएंगी तो उसकी वरिष्ठता संबंधित शिक्षाकर्मियों संवर्ग के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
6. जिले के अंदर संविलियन तथा अंतरजिला संविलियन के लिए अनुमति देने के लिए सक्षम अधिकारी निम्नानुसार होंगे:-
1. जिला अंतर्गत - कलेक्टर
 2. अंतर जिला -
 1. आयुक्त लोक शिक्षण (स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शालाओं में संविलियन चाहे जाने पर)
 2. आयुक्त, आदिवासी विकास (आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित शालाओं में संविलियन चाहे जाने पर)

आवेदक को दोनों निकायों की अनापत्ति के साथ यथास्थिति आवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

7. आयुक्त/कलेक्टर द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत संविलियन की अनुमति की सूचना संबंधित निकायों के अन्य कार्यपालन अधिकारियों को दी जावेगी। यह सूचना प्राप्त होने पर उस निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा आवेदक शिक्षाकर्मियों का पदस्थापना आदेश जारी किया जावेगा, जिस निकाय में संविलियन किया जा रहा है। पदस्थापना आदेश जारी होने के बाद ही उस निकाय द्वारा संबंधित शिक्षाकर्मियों को भारमुक्त किया जावेगा, जिसमें वह कार्यरत है।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(पुष्पलता सिंह)
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग


पृ.क्रमांक F 1-10 / 2005 / 20-1

भोपाल, दिनांक ४ / 11 / 2005

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्री, म.प्र. भोपाल।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री/राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग।
3. अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, कक्ष क्र. 84, मंत्रालय, भोपाल।
4. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, म.प्र. भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
8. आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. भोपाल।
9. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
10. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
11. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, म.प्र. भोपाल।
12. समस्त, संभागायुक्त, म.प्र.।
13. संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय तुलसी नगर, म.प्र. भोपाल।
14. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल।
15. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.।
16. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/समस्त जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र.।
17. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग